100

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2979 – विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–17 – पारित व्दारा – राजस्व निरीक्षक, सर्किल गुढ़ तहसील गुढ़ जिला रीवा – प्रकरण क्रमांक 15 अ–12/2016–17

देवनारायण पुत्र शिवगोपाल पटैल
ग्राम बंजारी तहसील गुढ़ जिला रीवा ––––आवेदक

विरूद्ध

1– अरूण कुमार पुत्र कृष्णप्रसाद ब्राहमण
ग्राम बंजारी तहसील गुढ़ जिला रीवा
2– मध्य प्रदेश शासन ––––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री सी0पी0मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 09–03–2018 को पारित)

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ़ तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 15 अ 12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21–06–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार गुढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि उसके स्वामित्व की ग्राम बंजारी में सर्वे क्रमांक 330 एंव 335 भूमि है जिसका वह सीमांकन कराना चाहता है सीमांकन किया जाय। राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ़ तहसील गुढ़ जिला रीवा ने प्रकरण

क्रमांक 15 अ 12/2016-17 पॅजीबद्ध किया तथा मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 27-5-2017 को सीमांकन किया। सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत हुई। राजस्व निरीक्षक ने आपत्तिकर्ता की आपत्ति का निराकरण करते हुये आदेश दिनांक 21-06-2017 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के क्रम में निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि निगरानीकर्ता सीमांकित भूमि का सरहदी कास्तकार है जिसके स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि सीमांकित भूमियों से लगी है किन्तु पटवारी हलका ने सीमांकन के समय उपस्थित होने के लिये निगरानीकर्ता को कोई सूचना नहीं दी एंव उसकी अनुपस्थिति में भूमि का अंश रकबा 100 वर्गफुट गैर निगरानीकर्ता की भूमि की ओर नापते हुये गलत सीमांकन किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ़ तहसील गुढ़ जिला रीवा के आदेश दिनांक 21-06-2017 को निरस्त किया जाय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के क्रम में राजस्व निरीक्षक वृत्त गुढ़ के आदेश दिनांक 21-06-2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने आदेश में अंकित किया है कि सीमांकन के समय सरहदी कृषक मौके पर उपस्थित रहे। आपत्तिकर्ता राजमणि पिता सरयू प्रसाद ब्रा. प्रदीपकुमार पटैल पिता दीनानाथ पटैल व रामसजीवन पिता हीरालाल पटैल सीमांकन के समय उपस्थित रहने के वावजूद सीमांकन पंचनामे में हस्ताक्षर नहीं किये गये है तथा सूचना पत्र में भी राजमणि तनय सरयूप्रसाद ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इससे परिलक्षित है कि आवेदक की मौजूदगी में सीमांकन हुआ है। आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने का वह

अधिकारी हैं। यदि आवेदक स्वयं् की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनांक 21-6-17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर